

10/12/16

पंजावली राजस्व लोक अदालत सिविल केपेस  
 डी उमद पक्षों की वरम चुनी गई। पंजावली  
 में प्रत्युल प्राप्पन अस्थायी विशेषाज्ञा एवं उद  
 पर औरतापलन नहील द्वारा प्रत्युल जवाब क  
 अवलोकन कले के पश्चात इस गिठकषिपर  
 पहुँच्ये की। केस प्राश्मोपेती सापल के पक्षके  
 पाया जाता है। सुविधा क संतुलन भी निधारित  
 आराजिकता क गिठपक्ष वंरवारा है जो दावा  
 के निस्तारण तक प्राथना पक्ष अस्थायी विशेषाज्ञा  
 के स्वीकार किम आकर विवाद प्रत्युल रक्कठे  
 1084 रक्का 1.32 हे० बाके ग्राम पुलवाडा में  
 मौके एवं रिकार्ड की स्थिति लाफेंसला बावा  
 अथास्थिति बनाये रखने के लिए उमद पक्षोंके  
 पावन्द किमा जाता है। पंजावली केसल सुमर  
 होकर नम्बाले कक्ष की जाकर वाड तकमील इतिहा  
 इफ्तसद की आवे। यह पंजावली मूल दावा हमफितल  
 मूल दावा संलग्न  
 की आवे।

अपक्ष अधिकारी  
 हिण्डौन